संख्याः– 59 /XXVII(1)/ 2015

प्रेषक,

एल.एन.पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 20 : जनवरी,2015

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2014–15 की चतुर्थ किश्त की धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2014–15 की चतुर्थ किश्त की धनराशि ₹190499000.00 (रुउन्नीस करोड़ चार लाख निन्यानब्बे हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(i) संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन, भत्तों व पेंशन पर व्यय की जायेगी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सदस्य जिला पंचायत) को मानदेय का भुगतान शासनादेश सं0 2004/XII/2011/86 (10)/2005 दिनांक 15 दिसम्बर,2011 में उल्लखित धनराशि के अनुसार किया जा सकेगा। शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

- वर्तमान किश्त भी विगत वित्तीय वर्ष 2013–14 की चतुर्थ किश्त के आधार पर ही अवमुक्त की जा रही है। विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली पंचायतें अगली किश्त अवमुक्त होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 2013–14 एवं 2014–15 में विभव व सम्पत्ति कर से प्राप्त धनराशि का विवरण बढ़ोत्तरी में तुलनात्मक धनराशि व उसका वृद्धि प्रतिशत सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तब ही अगली किश्त कर राजस्व में वृद्धि के अनुसार अवमुक्त की जा सकेगी।

3- कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5- उपयोगिता प्रमाण–पत्र अध्यक्ष जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/ वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या 19, पूर्वी ब्लाक सचिवालय देहरादून, उत्तराखण्ड तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में अब तक अवमुक्त सभी वित्तीय वर्षो के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण–पत्र

के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (वेतन भत्तों एवं अन्य मदों में कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

6- अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता–प्रमाण 31 मार्च,2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित प्रारूप/समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी का होगा।

7- संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–196–जिला पंचायतें/परिषदें–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एल.एन.पन्त)
ओ/सी अपर सचिव, वित्त।

संख्याः–59 /(1)/XXVII(1)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या 19, पूर्वी ब्लाक, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन.पन्त)
ओ/सी अपर सचिव, वित्त।